



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 161 राँची, शुक्रवार, 26 फाल्गुन, 1938 (श०)  
17 मार्च, 2017 (ई०)

---

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----  
अधिसूचना

10 मार्च, 2017

संख्या- 05/न०वि०/जला०/पेयजल निया० प्राधिकार/04/2016-1665-- झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-6 में वर्णित प्रावधान के आलोक में झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा देने के निमित्त खोज समिति का गठन किया जाता है ।

2. खोज समिति का स्वरूप निम्न प्रकार होगा :-

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| (क) मुख्य सचिव, झारखण्ड  | - | पदेन अध्यक्ष, |
| (ख) विकास आयुक्त, झारखण्ड  | - | पदेन सदस्य,   |
| (ग) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,<br>नगर विकास एवं आवास विभाग | - | पदेन सदस्य,   |

(घ) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,  
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

- पदेन सदस्य।

3. खोज समिति झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-6 में निहित प्रावधान के आलोक में क्षमता, सत्यनिष्ठा, चरित्र, योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन की अनुशंसा करेगी।

4. खोज समिति अपनी अनुशंसा एक माह के अंदर नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,  
सरकार के प्रधान सचिव।

-----